न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 104 / 2020
3. उनवान : सरकार जरिये महेश मीणा प्रवर्तन निरीक्षक

बनाम

श्री सुनील पुत्र श्री मेवा लाल निवासी प्लाट नं. 91, लक्ष्मण कालोनी श्याम नगर जयपुर पुलिस थाना श्याम नगर।

4. निर्णय दिनांक : 28-06-2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक जयपुर श्री महेश मीणा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा आदि पेश कर प्रार्थना पत्र में कथन किया कि अप्रार्थी सुनील पर दिनांक 27.03.2014 को जब्ती की कार्यवाही कर अवैध 4 घरेलू सिलेण्डर आईओसी व 5 वाणिज्यिक सिलेण्डर मय एलपीजी 90.200 किग्रा., 26 सेफ्टी कैप को जब्त किया गया। मौके पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई साक्ष्य सबूत उक्त सिलेण्डरों के संधारण के संबंध में पेश नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्त माल को राजसात करने का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दर्ज करवाया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज होने पर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अप्रार्थी द्वारा नोटिस सम्यक रुप से तामील होने के बावजूद जवाब भी पेश नहीं किया गया। अप्रार्थी / अभिभाषक के लम्बे समय तक अनुपस्थित रहने के बावजूद पत्रावली बहस पर रखी गयी। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी, न्याय हित में अन्तिम अवसर भी दिया गया। इस पर भी अप्रार्थी / अभिभाषक अनुपस्थित रहे। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 28-6-22 को आदेश हेतु रखी गई। हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन तथा बहस का मनन करने पर इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दिनांक 27.03.2014 को अप्रार्थी के किराये के कमरे में दबिश देने पर अप्रार्थी द्वारा घरेलू सिलेण्डर को उल्टा कर बांसुरी की सहायता से वाणिज्यिक सिलेण्डर में गैस हस्तानान्तरण किया जा रहा था। अप्रार्थी पर जांच कार्यवाही कर कुल 4 घरेलू सिलेण्डर आईओसी व 5 वाणिज्यिक सिलेण्डर मय एलपीजी 90.200 किग्रा., 26 सेफ्टी कैप जब्त किये गये। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर में से बांसुरी की सहायता से गैस निकालकर वाणिज्यिक सिलेण्डर्स में गैस भरकर अवैध रुप से विक्रय कर घरेलू गैस की कालाबाजारी व दुरुपयोग कर द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक

अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। चूंकि प्रार्थी द्वारा जब्त सिलेण्डर अवैध थे और उनके संधारण बाबत किसी अन्य ने भी क्लेम नहीं किया है। ऐसी स्थिति में हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित पाते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के मद्देनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6—ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा सामान जिसमें 4 घरेलू सिलेण्डर आईओसी व 5 वाणिज्यिक सिलेण्डर मय एलपीजी 90.200 किग्रा., 26 सेफ्टी कैप शामिल है, को राजसात किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी जयपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।